

उपरोक्त आवास एवं विकास परिसर, 104-प्रहल्ला गांधी मार्ग,
लॉन्डन पर दिनांक 2-3-90 को हुई प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 2-3-90 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1- श्री शरम्भु नाडर		अध्यक्ष
2- श्री अनित कुमार	आवास आयुक्त	सदस्य
3- श्री हरमिन्दर रान सिंह	नियोजक सचिव, वित्त वित्त सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
4- श्री राजधान सिंह	आवास सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
5- श्री जेपीभागीरथ	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
6- श्री केपी सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न अर्थों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संख्या संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/113/90	दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिसर की बैठक दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 की अनुपालन आख्या।	प्रथम/121/90	परिसर की बैठक दिनांक 11-9-89 तथा 20-9-89 में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से परिसर को अवगत कराया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि परिसर निर्णय का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाये।
3-	परिसर के अति आरिषों/कर्मचारियों को धितरेता प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/134/90	परिसर द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अर्पण लक्ष्य की गयी एवं परस्ताव अनुमोदित किया गया। परिसर ने यह भी उल्लेख दिया कि इन गैररेल कर्मियों द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा लिये जाने का प्राविधान है इस सम्बन्ध में परीक्षण कर लिया जाये।
4-	उपरोक्त आवास एवं विकास परिसर में सेवाओं में दक्षता अनिवार्य करके के लिये अनिवार्य सेवा नियुक्ति हेतु अधिकांश अभियन्ताओं की स्वीकृति हेतु कमेटी के गठन की स्वीकृति।	प्रथम/142/90	परिसर द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परस्ताव आ अनुमोदन किया गया।
5-	परिसर के महाज लेखाकार पद हेतु समता समिति द्वारा अस्तुता वित्तमान में विवरण।	प्रथम/151/90	परिसर में विचार-विमर्श के उपरान्त इस परस्ताव को अनुमोदन किया तथा यह निर्णय लिया कि इसे शीघ्र ही अंतिम कर दिया जाये।
6-	विकलांगों, दुर्बि, सुधीनों को सरकारी सेवा में सेवा प्रोत्थित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/161/90	परिसर में सर्वसम्मति से इस परस्ताव को अनुमोदन किया और यह निर्णय किया कि शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त करके ही पद भरा जायेगा।

1	2	3	4
			और यदि इसके सामान्य वेतन मान का कोई मत रिक्त हो तो यह पद भरा जा सकता है।
7-	परिषद में कार्यरत मास्त्रियों को परिषद कार्यकाल में निजी आयुक्त पुरोध करने पर वाहन आयुक्त भाला स्थान को जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/173/90	परिषद की 25-2-80 की प्रथम बैठक दिनांक 25-2-80 में नियुक्त गये निर्णय के अनुसार इस मामले में सुधदा एवं आवात आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
8-	"समता समिति" द्वारा परिषद के अधर अभियन्ताओं को संस्तुत वेतनमान के विस्थापित विस्थापित समिति को परिषद डिप्लोमा इंजीनियर एलिसिमान द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन सहित समिति उपायों को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/181/90	-तदर्थ-
9-	उपायों के अन्तर्गत एक विस्थापित परिषद के कार्य प्रभावित उपायों को देखा जाये तब उपाय विनियमन को बनाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/191/90	द्वितीयक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अध्ययन करने हेतु एक समिति गठित कर दी जाये जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:- <ol style="list-style-type: none"> 1- श्री जे0पी0भार्गव, मुख्य नगर एवं ग्राम निर्माजक 2- श्री राजेश सिंह, संयुक्त सचिव, आवात विभाग। 3- श्री जे0पी0सिंह, अपर आवात आयुक्त एवं सचिव। 4- श्री अशोक कुमार, विधि परामर्शदाता। 5- श्री सत0के0तिन्हा, संयुक्त सचिव वित्त विभाग। <p>यह उप समिति अपनी रिपोर्ट जमा कराने की प्रस्तावित करेगी।</p>
10-	वृत्त में सभी कर्मचारियों को वेतनमान ग्रेड के अन्तर्गत के आवात के सम्बन्ध में।	प्रथम/1101/90	परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रकार को देखा आयोग को संतुष्टि कर दिया जाये।
11-	अधिसूचित अभियन्ता एवं अधिसूचित अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति में परिषद के एक सदस्य को मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/1111/90	परिषद द्वारा चयन समिति में श्री राजेश सिंह, संयुक्त सचिव आवात विभाग जो परिषद के सदस्य है को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त चयन समिति में आवात आयुक्त तथा आवात आयुक्त नामित एक अभियन्ता भी होंगे।
12-	परिषद मुख्यालय पर सी0सी0 386 प्रिन्टि कम्प्यूटर स्थापित करने के सम्बन्ध में विमर्श।	प्रथम/1121/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा यह भी प्रस्ताव की गयी कि वर्तमान समय में जो कम्प्यूटर प्रयोग किया जा रहा है उसकी उपयोगिता के बारे में अगली बैठक में विमर्श प्रस्तुत की जाये।

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13- बहुहाण्डों पर निर्माण हेतु तसवीबुदिया प्रदान किया जाना। | प्रधाम/1131/90 | परिषद् उपरान्त इस सम्बन्ध में परिषद् ने यह निर्णय लिया कि शासनादेश का परीक्षण करके अगली बैठक में अधिसूचना प्रस्तुत की जाये। |
| 14- परिषद् के हिल्टन लेन योजना में बिक्री कर विभाग को आवंटित बहुहाण्डों भावन के विरुद्ध देय टण्ड व्याज की धारणा को माफ करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1141/90 | यह इस प्रकार पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में बिक्री विभाग को लिखा जाये कि लीज रजिस्ट्रार करें। तथा परिषद् व्टार टण्ड व्याज जमा करने के लिये लिखा जाये। |
| 15- परिषद् की योजनाओं में विभाग संस्थाओं को भाग्य प्रदित करने हेतु समिति गठन करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1151/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में एक समिति गठित कर दी जाये जिसके निम्नलिखित सदस्य हों:- |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1- आवास आयुक्त। 2- श्री पी.सी.ओ.आर. तयिध, विभाग के प्रतिनिधि। 3- मुख्य वास्तुविद् निधोजक। 4- विशेष सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि। <p>समिति अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करेगी।</p> |
| 16- लाटरी स्थल पर मानचित्रों की बिक्री। | प्रधाम/1161/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय दिया कि मानचित्रों की बिक्री स्थल पर की जाये और उतका मूल्य निर्धारण आवास आयुक्त व्टार किया जाये। |
| 17- डिफेन्स इम्प्लाइड एसोसिएशन की इन्दिरानगर स्थित सामुदायिक केन्द्र आवंटित करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1171/90 | परिषद् ने इस प्रकार पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया और इसे अस्वीकार कर दिया गया। |
| 18- व्यवसायिक सम्पत्तियों के बिक्री की अनुमति देने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1181/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को पुनः परीक्षण करके परिषद् के तसवीब प्रस्तुत किया जाये। |
| 19- आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर विदतीय विस्तार भाग्य विकास एवं महत्वाधान योजना फैलावाट मार्ग, लखनऊ में स्थित गणकमता के छातरा नं०-263 को अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में। | प्रधाम/1191/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। |
| 20- परिषद् अधिनियम की धारा-28, 29, 30 के अन्तर्गत आवंटितों की तसवीब हेतु नियोजन समितियों का गठन। | प्रधाम/1201/90 | परिषद् ने विचार-विमर्श के उपरान्त तसवीब में स्वीकृति प्रदान की। |

1	2	3	4
21-	कोटव्हाड रोड भागि विकास एवं गृहस्थान योजना नं०-1 मजीबाबाद का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राप्कलन।	पुधाम/1211/90	परिषद में विचार-विमर्श के उपरान्त अंततयाति में स्वीकृति प्रदान की।
22-	अलीगंज रोड भागि विकास एवं गृहस्थान योजना नं०-5 काशीपुर हेतु धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राप्कलन।	पुधाम/1221/90	-तटैव-
23-	परिषद द्वारा एच०डी०एफ० ली० के स्थान लीन करीड का अणु लिया जाना।	पुधाम/1231/90	-तटैव-
24-	हडको प्रोडिात भागि अर्जन योजना का पीपर नैनीताल के विरुद्ध स्वीकृत अणु को सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में।	पुधाम/1241/90	-तटैव-
25-	हडको प्रोडिात भागि अर्जन योजना राष्ट्रीय नगर योजना पटाराअगंज रोड तथा विकास नगर योजना नौतनवा रोड गौरगापुर के विरुद्ध स्वीकृत अणु को सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में।	पुधाम/1251/90	-तटैव-
26-	हडको प्रोडिात-3 योजनाओं में रूंकृत अणु को शर्तों के सम्बन्ध में।	पुधाम/1261/90	-तटैव-
27-	24वीं हडकी मिश्रित आवासीय योजना टैक्टर-6 तिकन्तरा आगरा इस्कीम नं०-6964 में स्वीकृत अणु को शर्तों के सम्बन्ध में।	पुधाम/1271/90	-तटैव-
28-	गजियाबाद के तीन योजनाओं को भागि अर्जन करने हेतु हडको से अणु लेने के सम्बन्ध में।	पुधाम/1281/90	-तटैव-
29-	हडको प्रोडिात-2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर अणु प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	पुधाम/1291/90	-तटैव-
30-	अलन्दाहर की दो योजनाओं की भागि अर्जन करने हेतु हडको द्वारा स्वीकृत अणु को सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में।	पुधाम/1201/90	-तटैव-
31-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना मेनपुरी इस्कीम नं०-6987।	पुधाम/1311/90	-तटैव-
32-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना शतौली मुखबरनगर इस्कीम नं०-6993।	पुधाम/1321/90	-तटैव-
33-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना दमटभा कीठी पुरादाबाद इस्कीम नं०-6988।	पुधाम/1331/90	-तटैव-
34-	हडको वित्त प्रोडिात भागि अर्जन योजना फरिशाबाद कीठी इस्कीम नं०-1, 30व० इस्कीम नं०-6989।	पुधाम/1341/90	-तटैव-

1	2	3	4
35- *धारवाड़की योजना में मण्डल की एवं रामपुर में दुकानों की प्रशासनिक स्वीकृति।	प्रधाम/1354/90	परिषद की क्र. 1980 की प्रधाम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिए गए निर्णय के अनुसार इस पामले में अध्यक्ष एवं जवाब आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।	
36- इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-10 में 34 डी आयुक्त/समय स्थित प्लॉट 193/ 176 इमीफिफिड भावनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1361/90	परिषद की क्र. 1990 की प्रधाम बैठक दिनांक 25-2-80 में लिया गया निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं जवाब आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।	
37- समय विहार योजना सं-2 हावुड में 67 नम 25/60 प्रकार के अल्प आयुक्त एवं 42 नम 19/42 प्रकार के अल्प आयुक्त भावनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1371/90	-तटैव-	
38- लखनऊ में मण्डल एवं भावनों एवं दुकानों में डीआयुक्त निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1381/90	-तटैव-	
39- इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-11 में हावुड-11 प्रकार के भावनों का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रधाम/1391/90	-तटैव-	
40- तिकन्टरा योजना में जलपति की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु नलकड़ों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	प्रधाम/1401/90	-तटैव-	
41-1- रामपुर योजना सं-2 में विपरीत कार्य के अन्तर्गत जिला-लखी रामपुर के अधिकांशियां हेतु 6 नम 93/176 प्रकार के भावनों	प्रधाम/141/90	-तटैव-	
41-2- रामपुर योजना सं-2 में 50 नम मण्डल-53/127 प्रकार के भावनों सम्बन्ध स्वीकरण के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रधाम/142/90	-तटैव-	
42- इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-12 में 23 आयुक्त आयुक्त 29/60 प्रकार के भावनों 50 डीआयुक्त 12/24 प्रकार के भावनों तथा 45 डीआयुक्त 13/25 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रधाम/143/90	-तटैव-	

1	2	3	4
43- बहुमंथारा योजना सं०-3 गाजि- परिषद में संख०-51 प्रकार के टाइप "ए०" तथा टाइप "बी०" एवं संख० 31 प्रकार के भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1431/90		-तदैव-
44- योजना सं०-2 कानपुर में 8वीं एवं 10वीं एवं 12वीं हडकी परियोजना के अन्तर्गत कुमायः 315, 540 एवं 576 म ² 14/24 प्रकार के 1831 नम. दु०आ०ब० भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	पुथाम/1441/90		परिषद की क०-1980 की पुथाम बैठक दि० 25-2-80 में लिखे गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास अधिकृत द्वारा निर्णय ले लिया गया है। इसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
45- योजना सं०-2 रामपुर में अल्प आय वर्ग भावनों की पुरानी-नए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1451/90		-तदैव-
46- योजना सं०-2 रामपुर में स्वयं वित्त पोषित योजना-88 के अन्तर्गत टाइप-1 एवं टाइप-11 भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1461/90		-तदैव-
47- योजना सं०-1 एवं योजना सं०-2 कानपुर में म०आ०ब० उ०आ०ब० भावनों की प्रशासनिक एवं उ०आ० व की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1471/90		-तदैव-
48- मेरठ में उ०आ०ब० एवं का०पीपर में दु०आ०ब० भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1481/90		-तदैव-
49- आगरा अधारा रोड योजना सं०-9 झुलीगढ़ में 12 म०आ०ब० भावनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	पुथाम/1491/90		-तदैव-
50- परिषद की बमलाजगर योजना आगरा के सेक्टर-11 व 12 में निर्मित 102 उच्च आय वर्ग तथा सेक्टर 80 के अन्तर्गत निर्मित 1 मंजिले दु०आ०ब० के भावनों के व्याप्त अधिकारों के सम्बन्ध में।	पुथाम/1501/90		इस विषय पर परिषद ने गुंभीरता से विचार दिया और निर्णय लिया कि इस मामले में जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध लिम्बोकार्टेज काटवाली की जारी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आवास अधिकृत द्वारा भी हमचित कार्टवाली सुनिश्चित की जायेगी।
51- विकास कार्ड का दरों में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में।	पुथाम/1511/90		परिषद ने विचार विचारों के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

1	2	3	4
52- मन्त्रिवाक्य बन्धारा योजना की हीन व्यवस्था के सम्बन्ध में।	पृथम/1521/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि आवास आयुक्त, उद्यम नगर एवं ग्राम नियोजक से वाता काके इस विषय में एक बैठक बुलाई जिसमें जी०डी०ए०जन निर्णय एवं एन०सी०आर० के प्लानिंग बोर्ड के सदस्य श्री जी०एन०तिहाजी आमन्त्रित करके निर्णय ले और फिर परिषद को अवगत कराये।	
53- कृषि श्रेणी कर्मचारियों को टिप्पे जी रहे स्थानीय भासा की पानराणि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।	पृथम/1531/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	
54- समता समिति द्वारा परिषद में केतनमान रु० 335-495 के पट धारकों को संस्तुत किये गये केतनमान में वितरित।	पृथम/1541/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और निर्णय लिया कि इसे शासन को संदर्भित कर दिया जाय।	
55- परिषद के वलिय डिजीजन एवं वलिय कार्यालयों में तैनात सभकों की विरुद्ध शारीर भासा दिये जाने के सम्बन्ध में।	पृथम/1551/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्देशा दिये कि इस एकरणा जो शासन को संदर्भित कर दिया जाये और शासन से अनुमति प्राप्त होने पर ही लागू किया जाये।	
56- काज्य सेवा प्रतिनियुक्ति पर गये परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों का संविकल्पन।	पृथम/1561/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।	
57- तात्वजिक उपक्रमों के सम्बन्ध में गठित समता समिति की संस्तुतियों को दि० 1-1-86 से लागू करने के सम्बन्ध में।	पृथम/1571/90	-तदैव-	
58- उ०ए०आवास एवं विभाज परिषद के विभाजन एटो हेतु केतनमानों की विलगति को तैर करने छटे पटों का समावेश करने एवं पुनरीक्षित केतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिष्यणी।	पृथम/1581/90	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की और मामले को शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया।	
59- परिषद सम्पत्तियों के विक्रय पर लाभाई न लिये जाने के सम्बन्ध में।	पृथम/1591/90	इस प्रस्ताव पर परिषद ने विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि शासनादेशा न०-6795/1/11-5-86 नगर विकास अनुभाग-5 दि० 23-10-86 एवं दिनांक 31-8-88 के अनुसार कार्यवाही किया जाए तयों तदनुसार नियमों में यथासंभव संतोधान किया जाय।	
60- श्री भवान पताम दिष्ट, भातपर्व सतद सदस्य एवं विभाजन सभा सदस्य को यो०स०-५ बरेली में निर्मित 9 उच्च आय वर्ग भासनों में से भासल का एक भासन आवंटित करने के सम्बन्ध में।	पृथम/1601/90	-स्थापित-	

